Annexure

संख्या– 450/ नौ–4–95–122ई ओ/94

प्रेषक,

नवीन चन्द्र बाजपेयी
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रशासक/ मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम
आगरा/ कानपुर/ इलाहाबाद/ वाराणसी/ मेरठ/ बरेली/ गोरखपुर/ अलीगढ़/
मुरादाबाद/ गाजियाबाद

नगर विकास अनुभाग–4

लखनऊः दिनांक 10 फरवरी, 1995

विषयः नगर निगमों में उप प्रशासक/ अपर मुख्य नगर अधिकारी के पदों के सृजन के सम्बन्ध में

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि संशोधन अध्यादेश–1994, दिनांक 21 सितम्बर, 1994 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 58 में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई है कि किसी नगर निगम में एक या एक से अधिक अपर मुख्य नगर अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है किसी व्यक्ति को अपर मुख्य नगर अधिकारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह ज्येष्ठतम वेतनमान में उप नगर अधिकारी न हो। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रियत) प्रशासी (प्रवर) सेवा में उप नगर अधिकारी का ज्येष्ठतम वेतनमान रूपया 3700–5000 है। अतः नगर निगमों में सृजित उप प्रशासक/ अपर मुख्य नगर अधिकारी के पद का वेतनमान रू0 3700–5000 होगा।

2 इसी विषय में शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक नगर निगम में उप प्रशासक/ अपर मुख्य नगर अधिकारी के दो पद होंगे। इस प्रकार के 11 नगर निगमों में से प्रत्येक के लिये दो–दो के आधार पर कुल 22 पद सृजित समझे जायेंगे। उक्त पदों के विरूद्ध नगर निगम, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी में उप प्रशासक/ अपर मुख्य नगर अधिकारी के एक–एक पद पर पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों के हेतु बाह्य सेवा के रूप में निहित होने के कारण कुल पदों में से 5 पद कम करते हुए उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित प्रशासी प्रवर सेवा के अधिकारियों के तैनाती हेतु 17 पद उपलब्ध होंगे।

3 उपर्युक्त के आधार पर राज्यपाल महोदय नगर निगम आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ एवं वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर में एक–एक अतिरिक्त पद तथा अलीगढ़, मुरादाबाद, गाजियाबाद में दो–दो पद उप–प्रशासक/ अपर मुख्य नगर अधिकारी के वेतनमान रू0 3700–5000 में सृजित किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

4 इन पदों पर आने वाले समस्त व्यय भार का वहन संबंधित नगर निगम द्वारा ही किया जायेगा।

आज्ञा से,
ह
नवीन चन्द्र बाजपेई
सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2 निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, इलाहाबाद।
3 मुख्य नगर लेखा परीक्षक समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4 नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।